



प्रेषक,

संजय शुक्ला,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के प्रचार-प्रसार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6020नेडा/पीयूबी/बजट-प्लान/12-13, दिनांक 10 फरवरी, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत यूपीनेडा के उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के प्रचार-प्रसार हेतु मद संख्या-20 (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.स.	प्राविधानित धनराशि	शासनादेश संख्या व दिनांक	अवमुक्त धनराशि
1	250	26/2025/616/003-87-01002-001-2-2022 दिनांक 26-06-2025	83.33
		40/2025/1/1162449/004-87-01002-001-2-2022 दिनांक 03-12-2025	83.33
		कुल योग	166.66

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के प्रचार-प्रसार हेतु मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित बजट ₹0 250.00 लाख के सापेक्ष अवशेष सम्पूर्ण धनराशि ₹0 83.34 लाख (रूपये तिरासी लाख चौतीस हजार मात्र) को स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी यूपीनेडा का होगा।
- 2- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल उप सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 5- यूपीनेडा द्वारा अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- यूपीनेडा द्वारा अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31-03-2025 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की अद्यतन प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,34,000 (रुपये तिरासी लाख चौंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810008000900 उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति का प्रचार प्रसार मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-103-X-2025-26-दिनांक:20-2-2026 प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव

संख्या-06/2026/ 310 /005-87-01002-001-2-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 50प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।